भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4524

दिनांक 28 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान

4524. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों, भेषज महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि में रखे गए पशुओं पर किए जा रहे प्रयोगों के संबंध में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए नए नियम बनाए हैं/बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नए नियमों के कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले पशुओं पर क्रूरता को रोकने के लिए पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए), 2023 को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस तरह के संशोधन या नए नियम बनाने से चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में चिकित्सा और परीक्षण प्रक्रिया में बाधा आएगी जिससे उभरते चिकित्सा पेशेवरों के मध्य विशेषज्ञता कम हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी समिति (सीसीएसईए) एक वैधानिक निकाय है, जिसे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 की धारा 15 (1) के तहत गठित किया गया है। समिति अधिदेश ऐसे सभी उपाय करना होगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि जीव-जंतुओं पर प्रयोग करने के पूर्व, दौरान या पश्चात् उनको अनावश्यक पीड़ा या यातना नहीं दी जाती है। समिति ने पशुओं पर परीक्षण को विनियमित करने के लिए "पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1968" (वर्ष 1996 में संशोधित) और "पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998" (वर्ष 2001 और 2006 में संशोधित) तैयार किए हैं। उपरोक्त नियमों के उपबंधों के तहत, मेडिकल महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुसंधान संस्थान आदि सहित प्रतिष्ठान, जो जैव-चिकित्सा अनुसंधान, प्रयोगशाला पशुओं के प्रजनन और व्यापार में लगे हुए हैं, उन्हें पशुओं पर प्रयोग शुरू करने से पहले सीसीएसईए के साथ पंजीकृत कराना और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए संस्थागत पशु आचार समिति (आईएईसी) या सीसीएसईए से अनुमोदित करवाना आवश्यक है। कोई नए नियम प्रस्तावित नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 17 के अनुसार, समिति का कर्तव्य ऐसे सभी उपाय करना होगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि जीव-जंतुओं पर परीक्षण करने के पूर्व, दौरान या पश्चात् उनको अनावश्यक पीड़ा या यातना नहीं दी जाती है। पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी समिति (सीसीएसईए) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 17 के तहत आवंटित कर्तव्यों और शक्तियों के अनुसार काम करती है।

(घ) और (ङ) ये नियम लंबे समय से लागू हैं और चिकित्सा संस्थानों सहित मौजूदा हितधारक पशुओं पर प्रयोग करने के लिए उन नियमों का पालन कर रहे हैं।

*****